न्यायालय, अपर समाहर्ता, रॉची।

एस ए आर अपील 38 आर 15/05–06
ए सी टी आर 85 आर 15/05–06

अनिल कुमार जयसवाल अपीलकर्ता

बनाम

चंद्रचुड़ खलखो प्रतिवादी

आदेश

54/28.07.2008 यह अपील एस ए आर वाद संख्या 55/02–03 में श्री ए के राव, विशेष विनियमन पदाधिकारी, रॉची द्वारा दिनांक 4.1.2004 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। निम्न न्यायालय ने निम्नांकित जमीन प्रतिवादी को वापस करने का निर्णय लिया है।

ग्राम	खाता	खेसरा	रकबा
हातमा	137	945	4.50 कट्ठा

अपील आवेदन में कहा गया है कि विवादित जमीन अपीलकर्ता के पिता ने 1952 में 100 रुपैये में खरीदा था एवं उसी समय से उनका मकान बना हुआ है। उस समय आदिवासी जमीन हस्तांतरण हेतु उपायुक्त की अनुमति आवश्यक नहीं थी। विवादित जमीन की प्रकृति 1952 में ही बदल चुकी है तथा आवासीय जमीन पर धारा 71 ए के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अपील आवेदन में यह दावा किया गया है कि निम्न न्यायालय में लगभग 55 वर्षों के वाद जमीन वापसी हेतु मामला दायर किया गया जो कि कालबाधित है।

प्रतिवादी नोटिस प्रप्त करने के वाबजूद इस वाद में उपस्थित नहीं हुए। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में बताया कि प्रतिवादी ने निम्न न्यायालय में दायर आवेदन में यह स्वीकार किया है कि विवादित जमीन पर अपीलकर्ता का मकान बना हुआ है। इनका तर्क है कि पी एल जे आर 1992 भाग 2 पृष्ठ संख्या 1 एवं एस सी 2004 भाग 6 पृष्ठ संख्या 325 में प्रकाशित निर्णय के अनुसार इस प्रकार की स्वीकारोक्ति को साक्ष्य के रुप में मान्यता दी जा सकती है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 भी अपीलकर्ता के दावे की पुष्टि करता है। विद्वान अधिवक्ता का दावा है कि मकान का चौकीदारी रसीद भी निर्गत

होता था एवं विद्युत कनेक्शन भी लिया गया है। रॉची नगर निगम में होल्डिंग भी 24.7. 1972 से कायम है। इसी प्रकार के मामले में इसी खेसरा पर मीना देवी के विरुद्व दायर वाद में उसी पीठासीन पदाधिकारी द्वारा धारा 71 ए के द्वितीय परन्तुक के अनुसार फैसला दिया गया है। श्री देवनीस किरो, विशेष विनियमन पदाधिकारी द्वारा भी प्रतिवादी द्वारा केदारलाल सिंह के विरुद्व दायर वाद संख्या 220/04–05 में क्षतिपूर्ति भूगतान का आदेश दिया गया है। विद्वान अधिवक्ता का अनुरोध है कि इस मामले में द्वितीय परन्तुक के अनुसार आदेश हेतु वाद को निम्न न्यायालय में प्रतिप्रेषित किया जाय।

अपीलकर्ता का कहना है कि 1952 में उनके पिता ने तकरारी भूमि खरीदा था और अपील आवेदन की कंडिका 5 में उनका कहना है कि उस समय आदिवासी भूमि के हस्तांतरण हेतु उपायुक्त की अनुमति आवश्यक नहीं थी। अपीलकर्ता द्वारा 1971–72 का एक नगरपालिका का रसीद दिया गया जो नन्द किशोर प्रसाद के नाम है और कुछ बिजली के भूगतान के रसीद दिये गये जो 1973, 2005, 2006 के थे। स्पष्ट है कि 1969 के पूर्व के कोई प्रमाण अपीलकर्ता के पास नहीं है जिससे प्रमाणित होता है कि उनके द्वारा निर्मित संरचना 1969 के बाद बनाया गया है।

इस प्रकार अपीलकर्ता को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 71 ए के द्वितीय परन्तुक का लाभ देना संभव नहीं है क्योंकि उनके द्वारा यह प्रमाणित नहीं किया गया है कि संरचना 1969 के पूर्व की है।

प्रथम पक्ष 1952 में हस्तांतरण का दावा करते हैं लेकिन उसका कोई दस्तावेज न्यायालय में नहीं दे पाये। इससे विश्वास करना कठिन है कि भूमि का हस्तांतरण हुआ या जबरन दखल। अगर 1952 की बात सत्य मानी जाय तो भी हस्तांतरण अवैध और अनियमित था क्योंकि अनुमति लेना 1947 के संषोधन के बाद से आवश्यक था।

अतएव अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है और निम्न न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा जाता है। सम्बन्धित अंचल अधिकारी निम्न न्यायालय के आदेशानुसार 15 दिनों के अंदर दखल देहानी सम्पन्न करावें।

दिनांकः– 28.07.2008 लेखापित वो संशोधित।

ह0/

अपर समाहर्ता,
रॉची।